अंशुली आर्या, आई.ए.एस.
सचिव
ANSHULI ARYA, I.A.S.
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अ. शा. पत्र सं.12016/04/2021-रा.भा. (का.-2) दिनांक: 13 अप्रैल, 2022

आदरणीय महोदय / महोदया

स्वतंत्रता संग्राम के समय से राष्ट्रीय एकता और अस्मिता का प्रभावी व शक्तिशाली माध्यम हिंदी भाषा रही है | हिंदी की इसी विशेषता, लोकप्रियता एवं सर्वग्राह्यता को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया | संविधान के अनुच्छेद 351 में राजभाषा के व्यापक प्रचार-प्रसार की बात कही गई है। संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प 1968 के अनुसार हमें हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति को और तीव्र करना है, एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार करके, उसे कार्यान्वित करना है।

2. आज हिंदी का महत्व जनभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा और वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ रहा है | माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय हिंदी के सरलीकरण और लोकप्रियता वृद्धि के लिए दृढ़संकल्प और निरंतर प्रयासरत है।

3. हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत की आजादी के 75 वर्ष होने के साथ-साथ हिंदी भाषा ने भी अपना विस्तार किया है और राजभाषा हिंदी के विस्तार में राजभाषा सेवी संस्थाओं / प्रकाशन समूहों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। राजभाषा की नीति प्रेरणा और प्रोत्साहन की रही है और हमारा प्रयास है कि अमृत महोत्सव के इस प्रेरणादायी अवसर पर आजादी के पूर्व से राजभाषा हिंदी में कार्य कर रही राजभाषा सेवी संस्थाओं / प्रकाशन समूहों को पुरस्कृत किया जाए।

4. मेरा आपसे आग्रह है कि आपके राज्य / केंद्र शासित प्रदेश से ऐसे राजभाषा सेवी संस्थाओं / प्रकाशन समूहों, जो आजादी के पूर्व से राजभाषा संवर्धन की दिशा में निरंतर कार्य कर रही हैं, का नाम दिनांक 12 मई, 2022 तक भेजें ताकि उन्हें सम्मानित किया जा सके। इस संबंध में प्रस्तावित प्रोफार्मा भी संलग्न है।

सादर

शुभेच्छु,

अं आर्या

(अंशुली आर्या)

भारत सरकार के सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यसचिव/ राज्यपाल /उपराज्यपाल

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : (91) (11) 23438266, फैक्स : (91) (11) 23438267, ई-मेल : secy-ol@nic.in

स्वयं सेवी संस्था/प्रकाशक समूहों द्वारा दी जनि वाली जानकारी

क्र.सं.	संस्था का नाम	कब से कार्यरत	संस्थापक का नाम व उनकी जन्म तिथि	वर्तमान संस्था प्रमुख का नाम, पदनाम, ई-मेल, मोबाईल नं., पता	आजादी की बाद संस्था द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यो का विवरण (अधिकतम 300 शब्द)	संस्था की वर्तमान शाखाओं का विवरण	स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान संस्था के उल्लेखनीय कार्य, यदि हो तो (अधिकतम 300 शब्द)

नोट : कृपया संबंधित दस्तावेज अवश्य संलग्न करें।

सं. 12016/04/2021-रा.भा.(का-2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राजभाषा हिंदी में कार्य कर रही राजभाषा सेवी संस्थाओं और प्रकाशन समूहों को पुरस्कृत किए जाने के संबंध में।

भारतीय संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प, 1968 के अनुसार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय हिंदी की लोकप्रियता में वृद्धि के लिए दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। राजभाषा विभाग अमृत महोत्सव के अवसर पर पर आजादी के पूर्व से राजभाषा हिंदी के संवर्धन की दिशा में कार्य कर रही राजभाषा सेवी संस्थाओं और प्रकाशन समूहों को सम्मानित करने का प्रयास कर रहा है।

2. इसके लिए देशभर में आजादी से पूर्व राजभाषा संवर्धन की दिशा में निरंतर कार्य कर रही सभी राजभाषा सेवी संस्थाओं और प्रकाशन समूहों के नाम आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस आशय का विस्तृत पत्र (अ.शा.पत्र सं.12016/04/2021-रा.भा.(का-2) दिनांकः13.04.2022) सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव / प्रशासक / उप राज्यपाल कार्यालयों में भेजा जा चुका है। संबंधित संस्थाएं/ प्रकाशन समूह उनके कार्यालयों में संपर्क कर अपना आवेदन जमा करवाएं। पत्र की प्रति तथा निर्धारित प्रारूप राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर भी उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित आवेदन पत्र (सभी दस्तावेज और निर्धारित प्रारूप) पर ही विचार किया जाएगा।

3. राजभाषा विभाग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30.06.2022 है। आवेदन अधोहस्ताक्षरी को एनडीसीसी-2 भवन, जय सिंह रोड, चौथा तल, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, दिल्ली-110001 पर भिजवाएं। साथ ही उनके आधिकारिक ईमेल आई डी abhilaasha.m@mha.gov.in पर ईमेल भी करवा दें।

उप निदेशक (कार्यान्वयन)
011-23438046